कृषिअनुसंधानकेन्द्र,श्रीगंगानगर
AGRICULTURAL RESEARCH STATION : SRIGANGANAGAR-335001
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,बीकानेर)
(Swami Keshwnand Rajasthan Agricultural University, Bikaner)
Phone: 0154-2440619, E-mail: arssgnr2003@gmail.com

संख्या एफ.( )/कृअके/गंगा/सीमित निविदा/2024–25/1609–16 दिनांक: 15.01.2025

अखिल भारतीय समन्वित गन्ना प्रबन्धन परियोजना में विभिन्न कृषि कार्यो हेतु
सीमित निविदा सूचना 2024–25

कृषि अनुसंधान केन्द्र (स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर), श्रीगंगानगर पर अखिल भारतीय समन्वित गन्ना परियोजना व फार्म गन्ना उत्पादन के अन्तर्गत क्षेत्रफल के आधार पर कार्य में विभिन्न कृषि कार्यो का सम्पादन करवाया जाना प्रस्तावित है जिसकी अनुमानित लागत 189600/–रूपये (एक लाख नवासी हजार छः सौ मात्र) है। अतः पंजीकृत सेवा प्रदाता एजेंसी/फर्म/ठेकेदार अपनी दरें भरकर बन्द लिफाफे में दिनांक 21.01.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय में क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर के नाम से जमा करवा सकता है। प्राप्त निविदाऐं उसी दिन 21.01.2025 को दोपहर 02:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यायल, बीकानेर
2. श्रीमान् निदेशक अनुसन्धान, अनुसन्धान निदेशालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. श्रीमान प्रभारी सिमका, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को भेजकर लेख है कि उक्त सीमित निविदा को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें
4. अध्यक्ष निविदा कमेटी, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर।
5. गन्ना परियोजना प्रभारी, कृषि अनुसधान केन्द्र, श्रीगंगानगर।
6. लेखा शाखा/रोकड़ शाखा, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर।
7. सूचना पट्ट/निविदा पत्रावली/रक्षित पत्रावली, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

कृषिअनुसंधानकेन्द्र,श्रीगंगानगर
AGRICULTURAL RESEARCH STATION : SRIGANGANAGAR-335001
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,बीकानेर)
(Swami Keshwnand Rajasthan Agricultural University, Bikaner)
Phone: 0154-2440619, E-mail: arssgnr2003@gmail.com

संख्या एफ.( )/कृअके/गंगा/सीमित निविदा/2024–25/1609–16 दिनांक: 15.01.2025

अखिल भारतीय समन्वित गन्ना प्रबन्धन परियोजना में विभिन्न कृषि कार्यों हेतु
सीमित निविदा सूचना 2024–25

कृषि अनुसंधान केन्द्र (स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर), श्रीगंगानगर पर अखिल भारतीय समन्वित गन्ना परियोजना व फार्म गन्ना उत्पादन के अन्तर्गत क्षेत्रफल के आधार पर कार्य में विभिन्न कृषि कार्यो का सम्पादन करवाया जाना प्रस्तावित है जिसकी अनुमानित लागत 189600/–रूपये (एक लाख नवासी हजार छः सौ मात्र) है। अतः पंजीकृत सेवा प्रदाता एजेंसी/फर्म/ठेकेदार अपनी दरें भरकर बन्द लिफाफे में दिनांक 21.01.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय में क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर के नाम से जमा करवा सकता है। प्राप्त निविदाऐं उसी दिन 21.01.2025 को दोपहर 02:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यायल, बीकानेर
2. श्रीमान् निदेशक अनुसन्धान, अनुसन्धान निदेशालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. श्रीमान प्रभारी सिमका, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को भेजकर लेख है कि उक्त सीमित निविदा को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें
4. अध्यक्ष निविदा कमेटी, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर।
5. गन्ना परियोजना प्रभारी, कृषि अनुसधान केन्द्र, श्रीगंगानगर।
6. लेखा शाखा/रोकड़ शाखा, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर।
7. सूचना पट्ट/निविदा पत्रावली/रक्षित पत्रावली, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

निविदा प्रपत्र

कृषि अनुसन्धान केंद्र, श्रीगंगानगर पर अखिल भारतीय समन्वित गन्ना प्रबन्धन परियोजना में किये जाने वाले विभिन्न कृषि कार्यः

क्र.सं.	कार्य का विवरण	इकाई	दर प्रति इकाई (रूपये में)
1	गन्ने में करसिये की सहायता से निराई गुड़ाई व घास को इकट्ठा कर बाहर फेंकना	8	
2	गन्ने के प्रायोगिक व अप्रायोगिक परीक्षणों में हाथ द्वारा रसायनों का छिड़काव।	8	
3	अप्रायोगिक गन्ने के बीज उत्पादन परीक्षणों में हाथ द्वारा उवरकों का छिड़काव ।	8	
4	गन्ने की कटाई, छिलाई, बन्डल बनाना व ट्रॉली में लदवाना।	4 (2000 q)	
5	गन्नों के परीक्षणों का लेआउट (रस्सी खींचना, रस्सी पर चलना, फीता लगाकर विभिन्न खूंटिया गाड़ना व निशान लगाना)	1	
6	गन्ने के बीच हेतु कटाई, छिलाई, बीज खेत में लाना, तीन आंख के टुकड़े काटना, गिनना, उपचार करना, उर्वरक डालना, प्लॉट वाइज रखना व बुवाई करना।	2	
7	गन्ना कटाई के पश्चात् रेटून फसल लेने के लिये गन्ने के पौधों की सेविंग (ज्यादा लम्बे तनों को काटकर एक साथ करना) व कटे हुए भाग को बाहर निकालना	2	
8	गन्ना कटाई के पश्चात् बीजू व रेटून गन्ने से पराली खेत से बाहर निकाल यथा स्थान पर डालना।	2	

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय तिथि,
पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

निविदा की शर्ते

1. सीमित निविदा क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, श्रीगंगानगर के नाम देय होनी चाहिये ।
2. इस कार्य की अनुमानित लागत 189600/– रूपये (एक लाख नवासी हजार छः सौ रूपये मात्र है।
3. निविदादाता को निविदा प्रपत्र 21.01.2025 दोपहर 12:00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा तथा निविदायें क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, श्रीगंगानगर के कार्यालय में दिनांक 21.01.2025 दोपहर 02:00 बजे खोली जावेगी। यदि किसी कारण वर्ष उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जावेगी।
4. लिफाफे पर अखिल भारतीय समन्वित गन्ना प्रबन्धन परियोजना में विभिन्न कृषि कार्यो हेतु सीमित निविदा दिनांक 21.01.2025 लिखा होना चाहिये जमा करवानी है।
5. प्रत्येक कार्य की निविदा दर स्पष्ट रूप से अंको व शब्दों में लिखी होनी चाहिये ।
6. सषर्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।
7. निविदादाता निविदा शर्तो का अध्ययन करने के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत करें तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिये ।
8. निविदा दरें निविदा अनुमोदन के पश्चात जनवरी 2025 से मई , 2025 तक के लिए मान्य होगी ।
9. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान के पास सुरक्षित रहेगा ।
10. कार्य परियोजना प्रभारी अथवा क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान के निर्देशनुसार पूरा करना होगा ।
11. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, श्रीगंगानगर के पास सुरक्षित रहेगा।
12. भुगतान केवल पूर्ण किये गये कार्य का ही किया जावेगा तथा पूर्ण माह का बिल एक साथ प्रत्येक अगले माह की 5 तारीख से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
13. निविदादाता द्वारा अवयश्क श्रमिकों को कार्य पर नही लगाया जायेगा।
14. निविदादाता एवं उसके कर्मचारी व उसके श्रमिक निविदादाता के ही सेवक होंगे उनका क्षेत्रीय निदेंशक अनुसंधान, श्रीगंगानगर से कोई सम्बन्ध नही होगा।
15. अनुबंध पर रखे श्रमिक निर्धारित समय पर कार्य हेतु उपस्थित होगे तथा कार्य सन्तोष जनक नही होने अशिष्ट व्यवहार करने पर श्रमिक को हटा दिया जायेगा एवं उसके प्रति किसी प्रकार का कोई उत्तरदरयित्व उत्पन्न होता है। तो उसके लिये संबन्धित निविदादात व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा व विश्वविद्यालय के विरूद्ध की गई कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही प्रभाव शून्य होगी।
16. अनुबन्ध अवधि में किसी श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य दुर्घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार से विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नही होगी और ना ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जावेगा और ना ही इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की जावेगी ।
17. उपलब्ध कराये गये श्रमिकों को भुगतान का दायित्व निविदादाता का होगा। स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कोषागार में प्रस्तुत बिल के पास होनें या न होने आदि से इसका कोई सम्बन्ध नही होगा। निविदादाता द्वारा श्रमिकों का भुगतान प्रत्येक माह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से करना होगा। भले ही कार्यालय द्वारा निविदादाता को भुगतान देरी से किया जाये ।
18. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा– निर्देशों की पालना का दायित्व निविदादाता का ही होंगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूनचनाओं दिशा– निर्देशों आदि की पालना नही करनें की स्थिति में उसकें परिणामों/ दायित्वों के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
19. बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता सेवा प्रदाता की प्रतिमाह सम्बन्धित इकाई प्रभारी अधिकारी से सेवा संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण करवाकर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल जोनल डायरेक्टर रिसर्च कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर के कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें जिसके आधार पर भुगतान किया जा सकेगा। उक्त सेवाओं के बदलें केन्द्र द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT चैक द्वारा किया जाएगा।
20. अनुबंध अवधि के दौरान लगाये जाने वाले श्रमिकों के संदर्भ में श्रम कानूनों एवं प्रावधानों की पूर्ण पालना हेतु निविदादाता उत्तरदायी होगा।
21. निविदा दरें निविदा अनुमोदन के पश्चात् जनवरी 2025 से मई 2025 के लिये मान्य होगी।
22. कार्य फार्म इन्चार्ज अथवा क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान श्रीगंगानगर के निर्देशानुसार पूरा करना होगा।

23. कार्य की प्रकृति एवं मांग के अनुसार श्रमिक उपलब्ध करवानें होंगे, जिस हेतु निविदादाता को समय–समय अग्रिम रूप से सूचित किया जाता रहेगा।

24. कार्य का समय फार्म पर आवश्यक कृषि कार्य, मौसम व परिस्थितियों के अनुसार रहेगा।।

25. निविदादाता निविदा शर्तों का अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करें तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिये।

36. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, श्रीगंगानगर का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा एवं निविदादाता इसके लिये बाध्य होगा। किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र श्रीगंगानगर रहेगा

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

मैनें समस्त उपरोक्त शर्ते पढ ली है तथा मुझे मंजूर है एव मैं उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ

हस्ताक्षर निविदादाता